रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230918
CG-DL-E-02112021-230918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2021/कार्तिक 11, 1943
No. 627]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021/KARTIKA 11, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 775(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (इसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "संयुक्त अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, उप-नियम (1) में,—

(i) खंड (ख) और (घ) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ञ) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यदि किसी खनिज या खनिज श्रेणी के लिए, किसी माह के लिए संबंधित राज्य के संबंध में औसत विक्रय मूल्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो ऐसे खनिज या खनिज श्रेणी के लिए प्रकाशित

नवीनतम माह के औसत विक्रय मूल्य को उक्त माह के लिए औसत विक्रय मूल्य समझा जाएगा जिसके लिए औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित नहीं किया गया है:

परंतु यह और कि यदि किसी खनिज या खनिज श्रेणी के लिए, संबंधित राज्य के संबंध में औसत विक्रय मूल्य पूर्ववर्ती बारह माह की पूरी अवधि के लिए प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो उक्त बारह माह के लिए ऐसे खनिज या खनिज ग्रेड के लिए प्रकाशित अखिल भारतीय औसत विक्रय मूल्य का उपयोग किया जाएगा:

परंतु यह भी कि खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 की अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट खनिजों और सामान निक्षेपों के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति हेतु खनिज ब्लॉक की नीलामी के मामले में, 'खनिज संसाधनों की प्राक्कलित मात्रा' निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त की जाएगी, अर्थात्:—

(क) ब्लॉक में खनिजीकृत क्षेत्र के लिए जी4 स्तर के गवेषण के तहत यथा मूल्यांकित खनिज संसाधनों की प्राक्कलित मात्रा को ब्लॉक के 'खनिज संसाधनों की प्राक्कलित मात्रा' माना जाएगा;

(ख) यदि खंड (क) के अधीन 'खनिज संसाधनों की प्राक्कलित मात्रा' का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो उसे गुणा करके प्राप्त किया जाएगा,—

(i) उक्त नियमों के अनुसार समान भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाले और जी3 स्तर तक गवेषित निकटवर्ती खनन पट्टों या खनिज ब्लॉकों के खनिजीकृत क्षेत्र में उपलब्ध समान खनिज के लिए प्रति हेक्टेयर खनिज संसाधन की प्राक्कलित मात्रा का औसत; और

(ii) खनिज ब्लॉक का खनिजीकृत क्षेत्र जिसे संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए नीलाम किया जाना है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए 'निकटवर्ती खनन पट्टे या खनिज ब्लॉक' का अर्थ उसी जिले में या किसी आसन्न जिले में स्थित खनन पट्टे या खनिज ब्लॉक से अभिप्रेत होगा।"

4. उक्त नियमों में नियम 5, 7 और 8 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 9क में,—

(i) उप-नियम (1) में, "अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (5) और (6) के उपबंधों के तहत समाप्त हो रहे पट्टों के संबंध में, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2020" की अधिसूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 8ख की उप-धारा (1) के अनुसार सभी विधिमान्य अधिकारों, अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि के अंतरण और निहित करने के लिए निहित आदेश जारी करने के उद्देश्य से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) यदि नया पट्टेदार अनुमोदनों, मंजूरियों, अनुज्ञप्तियों, परमिटों इत्यादि निहित आदेश के तहत स्थानांतरित से जुड़ी शर्तों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव करता है, तो पट्टेदार उस समय लागू विधियों के अधीन उनका अनुमोदन अधिप्राप्त करेगा।";

(iii) उप-नियम (5) में, "अधिनियम की धारा 8ख में यथा उपबंधित दो वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "प्रदत्त खनन पट्टे की समाप्ति या अंत तक" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उप-नियम (6), (7) और (8) का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 12 में,—

(i) उप-नियम (1) में, खंड (ट) में,—

(क) "किसी भी खनिज के संबंध में" शब्दों के बाद, "खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के तहत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे खनिज के प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और भी कि अतिभारित या बेकार चट्टान या प्रारंभिक मूल्य से कम के खनिज के मामले में, जो खनिज के खनन या सज्जीकरण के दौरान उत्पन्न होता है; या खनिज के साथ निकाला गया कोई गौण खनिज

जिसके लिए पट्टा प्रदान किया गया है, राज्य सरकार, ऐसे भुगतान पर जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, भारतीय खान ब्यूरो के परामर्श से, आदेश द्वारा, पट्टेदार को ऐसी सामग्री को इतनी मात्रा में और उसमें यथा विनिर्दिष्ट रीति से निपटाने की अनुज्ञा दे सकती है, ";

(ii) उप-नियम (5) और (5क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(5) खनन पट्टा प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र निम्न से कम नहीं होगा,—

(क) दो हेक्टेयर, समुद्र तट की रेत या प्लेसरों के संबंध में, जो एक या बहु खनिज सांद्रता हैं, जिसमें तटीय तट रेखा पर और बाहर होने वाले टीलों को शामिल किया गया है, जो भाटा और ज्वार एवं समुद्री लहरों और उत्पाद के रूप में अर्ध-समेकित से समेकित प्रकृति के स्थानों पर जमा होते हैं;

(ख) चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैंगनीज, कायनाइट, सिलीमेनाइट, मार्ल, सेलेनाइट, सिलिसियस मृदा, ग्रेफाइट, वर्मीक्यूलाइट, वोलास्टोनाइट के संबंध में दो हेक्टेयर, जिसमें थोड़े निक्षेप होते हैं, किंतु बड़े निक्षेपों के खंडित हिस्से नहीं होते हैं, बीस मीटर तक खनिजीकरण गहराई वाले स्वभाव से सतही, पृथक और स्ट्राइक की लंबाई में दो सौ मीटर से अधिक नहीं हो, जो भूगर्भीय गड़बड़ी के कारण मूल या स्थापन या विस्थापन के तरीके के आधार पर छोटे होते हैं; और थोड़े निक्षेपों में यांत्रिक अपक्षय और निक्षेपण, जलोढ़ या जलोढ़ प्लेसर (गाड़े गए या अन्यथा) के कारण बने फ्लोट निक्षेप (लाए गए) भी शामिल होंगे, जिनमें आम तौर पर समुद्र तट की रेत या प्लेसर को छोड़कर विशेष विन्यास होते हैं;

(ग) खंड (क) और (ख) के तहत विनिर्दिष्ट के अलावा सभी खनिज निक्षेपों के संबंध में चार हेक्टेयर"।

7. उक्त नियमों में, नियम 12क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"12ख. कैप्टिव पट्टों से खनिज के विक्रय की रीति —(1) किसी भी पट्टे में, जहां खनिज को कैप्टिव प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना अपेक्षित है, पट्टेदार निम्नलिखित रीति से खनिज बेच सकेगा, अर्थात्:-

(i) खान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान ऐसी कैप्टिव खान में उत्पादित कुल खनिज का पचास प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया जाएगा को सुनिश्चित करते समय, पट्टेदार एक वित्त वर्ष में ऐसी कैप्टिव खान में उत्पादित कुल खनिज का पचास प्रतिशत तक बेच सकेगा;

(ii) एक वित्तीय वर्ष के लिए खान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता उस वित्तीय वर्ष में उक्त संयंत्र में प्रयुक्त खनिज की वास्तविक मात्रा होगी;

(iii) पट्टेदार इस प्रकार विक्रीत की गई मात्रा के लिए अधिनियम की छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि का संदाय करेगा;

(iv) पट्टेदार जिसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के लागू होने से पहले खनिज बेचने की अनुज्ञा दी गई है, इस प्रकार बेची गई मात्रा के लिए अधिनियम की छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद विक्रीत की गई मात्रा के लिए ही अतिरिक्त राशि का संदाय करेगा;

(v) पट्टेदार ऐसी विक्रय का एक अलग रिकॉर्ड रखेगा और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के तहत प्रस्तुत की जाने वाली मासिक और वार्षिक विवरणी में ऐसी विक्रय की रिपोर्ट करेगा;

(vi) वित्तीय वर्ष के अंत में, पट्टेदार उत्पादित खनिज की मात्रा, संबद्ध अंतिम उपयोग संयंत्र में प्रयुक्त खनिज की मात्रा और उस वित्त वर्ष में बेचे गए खनिज की मात्रा का मिलान करेगा;

(vii) यदि पट्टेदार एक वित्तीय वर्ष में एक कैप्टिव खान में उत्पादित कुल खनिज का पचास प्रतिशत से कम बेचता है, तो यह तत्पश्चात वर्ष में विक्रय के लिए कम मात्रा को अग्रसारित नहीं ले जाएगा ।

स्पष्टीकरण—यह नियम उन सभी पट्टों पर लागू होगा जहां खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने से पहले, किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या निर्देश के विपरीत, किसी बात के होते हुए कैप्टिव उपभोग के लिए खनिज का उपयोग करने की आवश्यकता है।"

8. उक्त नियमों में, नियम 20 में,—

(i) "खनन प्रचालन" और "ऐसे प्रचालन" शब्दों, जहां कहीं भी वे आते हैं, के लिए "उत्पादन और प्रेषण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) में, "इस नियम की शर्तों के अधीन जहां खनन कार्य होते हैं" शब्दों के स्थान पर, "जहां उत्पादन और प्रेषण किया गया है" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"जहां एक पट्टेदार खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में असमर्थ है या अपने नियंत्रण से परे कारणों से उत्पादन और प्रेषण को बंद कर देता है, वह इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए और दो वर्षों की ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व कम से कम तीन माह पहले, अपेक्षित अतिरिक्त समय बताते हुए राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु जहां पट्टेदार अपने नियंत्रण से परे के कारणों से उक्त निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने में विफल रहा है, किंतु उप-नियम (1) के तहत पट्टे के व्यपगत होने से पहले आवेदन किया है, राज्य सरकार इसे आवेदन करने में देरी को माफ कर सकती है और ऐसे मामले में राज्य सरकार पट्टे के व्यपगत होने से पहले उप-धारा (6) के तहत एक आदेश पारित करेगी।

परंतु और कि जहां पट्टेदार उक्त निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने में विफल रहा है या राज्य सरकार द्वारा आवेदन करने में देरी को माफ नहीं किया गया है, उप-नियम (1) के अनुसार पट्टा व्यपगत हो जाएगा।";

(iv) उपनियम (6) में, —

(क.) "जो भी पहले हो, या तो ऐसे अनुरोध को स्वीकार करना या अस्वीकार करना:", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"जो भी पहले हो, या तो दो वर्ष की अवधि को और एक वर्ष से अधिक नही देना या ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करना:";

(ख.) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसा खनन पट्टा उत्पादन और प्रेषण में विफल होने या विस्तारित अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण जारी रखने में असमर्थ होने पर व्यपगत हो जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसा विस्तार पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान एक से अधिक बार के लिए मंजूरी को नहीं दिया जाएगा।";

(v) उपनियम (7), (8) और (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(7) धारा 4क की उप-धारा (4) के तीसरे परंतुक के तहत दिया गया खनन पट्टे के पुनर्जीवन के लिए कोई भी आवेदन, जैसा कि यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ अर्थात्, 28 मार्च, 2021 से पहले था, जिसका निपटान राज्य सरकार द्वारा उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है, उक्त तारीख को व्यपगत हो जाएगा।";

(vi) उप-नियम (11) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(12) राज्य सरकार खनन पट्टे के ऐसे व्यपगत के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को लिखित रूप में सूचित करेगी।"

9. उक्त नियमों में, नियम 21 में,—

(i) उप-नियम (1) में,—

(क) "संपूर्ण क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "संपूर्ण या भाग क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "बारह" शब्द के स्थान पर, "छह" शब्द रखा जाएगा;

(ग) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3क) राज्य सरकार पट्टेदार को लिखित में सूचित किए जाने वाले कारणों के लिए, खनन पट्टे के पूरे या एक भाग के इस तरह के समर्पण को स्वीकार करने से इनकार कर सकेगी।"

10. उक्त नियमों में नियम 23 में,—

(i) शीर्षक में, "नीलामी के माध्यम से अनुदत्त" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) में, "नीलामी के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "अधिनियम के अंतर्गत" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (2) में, "जो केवल नीलामी के माध्यम से अनुदत्त किया गया है" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-नियम (5) में, अंत में आने वाले "यथास्थिति ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण पट्टे अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के संबंध में भी" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"और हस्तांतरण के परिणामस्वरूप कैप्टिव खान की स्थिति का मर्चेंट खान में या इसके विपर्येत में परिवर्तन नहीं होगा:

परंतु खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के लागू होने से पहले से प्रभावी किसी भी हस्तांतरण पर, कैप्टिव से मर्चेंट या इसके विलोमतः खान की स्थिति में कोई भी परिवर्तन निष्प्रभावी होगा और ऐसी खान की कैप्टिव या मर्चेंट स्थिति, यथास्थिति, जैसा कि इस तरह के हस्तांतरण से पहले था, को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।";

(v) उप-नियम (11) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(12) खनिज (कैप्टिव उद्देश्य के लिए नीलामी के माध्यम से अन्यथा प्रदत्त खनन पट्टे का हस्तांतरण) नियम, 2016, के उपाबंधों के तहत खनन पट्टे के किसी भी अंतरिती द्वारा किया गया अग्रिम भुगतान, जैसा कि इसके निरसन से पहले था, राज्य सरकार द्वारा 27 मार्च, 2021 तक उक्त नियमों के तहत देय स्थानांतरण फीस के स्थान पर समायोजन के बाद ऐसे अंतरिती को वापस किया जाएगा:

परंतु ऐसी धन वापसी अंतरिती द्वारा ऐसे प्रतिदाय के लिए आवेदन करने की तारीख से साठ दिन के भीतर की जाएगी।"

11. नियम 23क के बाद निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"23ख. पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु होने पर विधिक वारिसों के पक्ष में खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति का नामांतरण - (1) पट्टे या अनुज्ञप्ति अवधि की अवधि के दौरान खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु के मामले में, विधिक वारिसों पट्टे या अनुज्ञप्ति में मृतक पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारक, यथास्थिति, के स्थान पर अपना नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार नामांतरण के लिए ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर मृतक पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारक के स्थान पर ऐसे विधिक वारिसों के नाम दर्ज करेगी या ऐसे नामांतरण अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में बताएगी:

परंतु यह और कि किसी खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति में नाम का नामांतरण किसी भी ऐसी शर्त के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा जिसके अधीन ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी।

(3) राज्य सरकार इस नियम के तहत किसी भी नामांतरण के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को लिखित रूप में सूचित करेगी।"

12. उक्त नियमों में, नियम 24 का लोप किया जाएगा।

13. उक्त नियमों में, नियम 42 के उपनियम (3) में "गैर केप्टिव खानों" शब्दों के बाद "और केप्टिव खानों द्वारा की गई कोई भी मर्चेन्ट बिक्री" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों में, नियम 49 में, —

(i) "24 प्रतिशत वार्षिक की दर" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "12 प्रतिशत वार्षिक की दर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "के साठवें दिन से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

15. उक्त नियमों में, नियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"54. शास्ति—(1) नियम 11, 12, 12क, 12ख, 13, 15, 17 [उप-नियम (1)], 21 [उप-नियम 4], 22 [उप-नियम (2)], 23, 25, 28 से 33, 40, 50, 51, 52, 60, 61, 64 और 65 का किसी भी तरह का उल्लंघन एक अवधि जो दो वर्षों तक हो सकती है या दंड जो पाँच लाख रुपए तक हो सकेगी या दोनों के साथ दंडनीय होगा और निरंतर उल्लंघन के मामले में, इस तरह के पहले उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद से प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भी ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने के साथ पचास हजार रुपये तक हो सकेगा।

(2) नियम 17 के उप-नियम (2) का कोई भी उल्लंघन अनुसूची-12 में यथा विनिर्दिष्ट रकम जुर्माने के साथ दंडनीय होगा"।

16. उक्त नियमों में, नियम 55 में, अनुसूची-5, अनुसूची-7 और अनुसूची-9 में "रियायत नियम, 2015" शब्दों, अंकों के स्थान पर, "रियायत नियम, 2016" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

17. उक्त नियमों में नियम 60 में, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"नये रियायत धारक को कुछ सूचना देना।"

18. उक्त नियमों में, नियम 70 के पश्चात, निम्नलिखित नियमों और अध्याय अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"71. **जब किसी आवश्यकता के पूरा होने का दिन सार्वजनिक अवकाश हो.—**जब इन नियमों के तहत किसी भी आवश्यकता के पूरा होने का दिन सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ता है, तो पूरा होने का दिन अगले कार्य दिवस को समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति "सार्वजनिक अवकाश" में शनिवार, रविवार और कोई अन्य दिन शामिल है जिसे यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो।

अध्याय-18

सरकारी कंपनियों द्वारा खनन

72. **12 जनवरी, 2015 से पहले सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदत्त खनन पट्टे की अवधि -** (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) के लागू होने की तारीख अर्थात् 12 जनवरी, 2015 से पहले किसी सरकारी कंपनी या निगम को दिए गए खनिजों के लिए सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार, सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टे की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले इस संबंध में दिए गए एक आवेदन पर, खनन पट्टे की अवधि को एक ही बार में बीस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाएगी:

परंतु राज्य सरकार ऐसे आवेदन करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन, खनन पट्टों के नवीकरण के लिए किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा दिए गए सभी आवेदन और जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) के लागू होने की तारीख तक लंबित थे, खनन पट्टे की अवधि के विस्तार के लिए आवेदन माना जाएगा और उसका निपटान उप-नियम (2) के उपाबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(4) यदि खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के लागू होने से पहले खनन पट्टे के विस्तार के लिए दिया गया कोई आवेदन सहित उपनियम (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर खनन पट्टे के विस्तार के लिए दिए गए आवेदन का निपटारा राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे की समाप्ति की तारीख से पहले नहीं किया जाता है जो उक्त नियमों के लागू होने से पहले या बाद में हो सकता है, उस पट्टे की अवधि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के विस्तार की अनुमति दिए जाने तक की अवधि तक बढ़ाया हुआ समझा जाएगा और सरकारी कंपनी या निगम ऐसे खनन पट्टे से खनन संक्रियाओं, उत्पादन और प्रेषण निरंतर जारी कर सकेगी:

परंतु सरकारी कंपनी या निगम ऐसे विस्तार के लिए नियम 74 में यथा विनिर्दिष्ट रकमों का संदाय करेगा।

73. **12 जनवरी, 2015 को या उसके बाद सरकारी कंपनियों या निगमों को दिए गए खनन पट्टे की अवधि-** (1) किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनिजों के लिए दिए गए सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की अवधि के लिए होंगे।

(2) अधिनियम की धारा 10ख और धारा 11 के उपाबंधों के अनुसार किसी सरकारी कंपनी या निगम को दिया गया खनन पट्टा पचास वर्ष की अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा और इसे बढ़ाया नहीं जाएगा।

(3) राज्य सरकार, सरकारी कंपनी या निगम द्वारा इस संबंध में दिए गए एक आवेदन पर, अधिनियम की धारा 17क की उप-धाराओं (2क) और (2ख) के उपाबंधों के अनुसार खनन पट्टे की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले खनन पट्टा प्रदान किया, खनन पट्टे की अवधि को एक ही बार में बीस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाएगी:

परंतु राज्य सरकार ऐसे आवेदन करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगी।

(4) यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर खनन पट्टे के विस्तार के लिए दिए गए आवेदन का निपटारा राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे की समाप्ति की तारीख से पहले नहीं किया जाता है, तो उस पट्टे की अवधि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के विस्तार की अनुज्ञा की जाने तक की अवधि के लिए और बढ़ायी हुई समझी जाएगी और सरकारी कंपनी या निगम ऐसे खनन पट्टे से खनन संक्रियाओं, उत्पादन और प्रेषण निरंतर जारी कर सकेगी:

परंतु सरकारी कंपनी या निगम ऐसे मानद विस्तार के लिए नियम 74 में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय करेगी।

74. सरकारी कंपनी या निगम द्वारा संदाय- (1) 12 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् नीलामी के अलावा अन्य माध्यम से, अधिनियम के उपाबंधों के अनुसार सरकारी कंपनी या निगम या संयुक्त उद्यम को प्रदत्त खनन पट्टे के मामले में, वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के लागू होने के पश्चात् उत्पादित खनिज के लिए अधिनियम की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत यथा विहित रकम राज्य सरकार को संदाय करेगा।

(2) पांचवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम के संदाय के अलावा, सरकारी कंपनी या निगम, संबंधित प्राधिकरणों में उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत यथा आवश्यक ऐसी अन्य राशि का भी संदाय करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं,—

(i) राज्य सरकार को स्वामित्व या अनिवार्य किराया;

(ii) राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास को संदाय; और

(iii) जिला खनिज प्रतिष्ठान को संदाय"

19. उक्त नियमों में, अनुसूची-12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

अनुसूची-12

[नियम 54(2) देखें]

जुर्माने की रकम

नियम सं.	**नियम का सीमांत शीर्ष**	**शमन के लिए रकम (रूपये में)**
नियम 17 का उप-नियम (2)	खनन योजना का उपांतरण और समीक्षा	अधिकतम 5,00,000/- के अधीन 2,000/- रूपये प्रतिदिन

[फा. सं. एम. VI-1/7/2021-माइंस VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016, संख्यांक सा.का.नि. 279(अ) तारीख 04 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 397(अ) तारीख 10 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

G.S.R. 775(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "prospecting licence-cum-mining lease", wherever they occur, the words "composite licence" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2, in sub-rule (1),—

(i) clause (b) and (d) shall be omitted;

(ii) in clause (j), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State for any month is not published by the Indian Bureau of Mines, the average sale price for the latest month published for such mineral or mineral grade shall be deemed to be the average sale price for the said month for which average sale price is not published:

Provided further that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State is not published for the entire period of the preceding twelve months, then the all India average sale price published for such mineral or mineral grade for the said twelve months shall be used:

Provided also that in case of auction of mineral block for composite licence for minerals and corresponding deposits as specified in Schedule II of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the 'estimated quantity of mineral resources' shall be arrived in the following manner, namely:—

(A) the estimated quantity of mineral resources as assessed under G4 level of exploration for the mineralised area in the block shall considered the 'estimated quantity of mineral resources' of the block;

(B) in case the 'estimated quantity of mineral resources' is not possible to be assessed under clause (A), then the same shall be arrived at by multiplying,—

(i) the average of the estimated quantity of mineral resource per hectare for the same mineral available in the mineralised area of nearby mining leases or mineral blocks having similar geological features and explored upto G3 level in accordance with the said rules; and

(ii) the mineralised area of the mineral block which is to be auctioned for composite licence.

***Explanation*.—**For the purposes of this clause 'nearby mining leases or mineral blocks' shall mean mining leases or mineral blocks located in the same district or in any adjacent district.".

4. In the said rules, rule 5, 7 and 8 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 9A,—

(i) in sub-rule (1), for "in respect of leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Act, within one week from the date of the notification of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2020" the words, figure and letter, "for the purpose of issuing vesting order for transfer and vesting of all valid rights, approvals, clearances, licences and the like in accordance with sub section (1) of section 8B" shall be substituted,

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) In case the new lessee proposes any change in the conditions attached to the approvals, clearances, licences, permits, and the like, transferred under the vesting order, the lessee will obtain the approval of the same, under the laws for the time being in force.";

(iii) in sub-rule (5), for the words and letter, "for a period of two years as provided in section 8B of the Act", the words "till expiry or termination of mining lease granted" shall be substituted;

(iv) sub-rules (6), (7) and (8) shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 12,—

(i) in sub-rule (1), in clause (k),—

(a) after the words "in respect of any mineral", the words and figure "having a grade equal to or above the threshold value of such mineral, as notified by the Indian Bureau of Mines under the Mineral Conservation and Development Rules, 2017," shall be inserted;

(b) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case of overburden or the waste rock or the mineral below the threshold value, which is generated during the course of mining or beneficiation of the mineral; or any minor mineral extracted alongwith the mineral for which lease is granted, the State Government in consultation with the Indian Bureau of Mines may, by order permit the lessee to dispose of such material in such quantity and in such manner as may be specified therein, on such payment as may be decided by the State Government;";

(ii) for sub-rule (5) and (5A) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) The minimum area for grant of mining lease shall not be less than,—

(a) Two hectares, in respect of beach sands or placers, which are mono or multi mineral concentrations, including the dunes occurring on and off the coastal shore line deposited as a product of the ebb and flow of tides, waves and inshore currents, and at places semi-consolidated to consolidated in nature;

(b) Two hectares, in respect of limestone, bauxite, manganese, kyanite, sillimanite, marl, selenite, siliceous earth, graphite, vermiculite, wollastonite having small deposits, but not fragmented portions of larger ones, shallow in nature with depth of mineralisation upto twenty metres, isolated and not exceeding two hundred metres in strike length, which are small by virtue of either origin or mode of emplacement or dislocation due to geological disturbances; and small deposits shall also include float deposits (transported) formed due to mechanical weathering and deposition, alluvial or eluvial placers (buried or otherwise), which generally have peculiar configurations excepting beach sands or placers;

(c) Four hectares, in respect of all mineral deposits other than those specified under clauses (a) and (b).".

7. In the said rules, after rule 12A, the following rule shall be inserted, namely:—

"**12B. Manner of Sale of mineral from the captive leases.—** (1) In any lease, where mineral is required to be used for captive purpose, the lessee may sell mineral in the following manner, namely:—

(i) lessee may sell up to fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine in a financial year while ensuring that not less than fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine shall be used during the financial year for meeting the requirement of the end use plant linked with the mine;

(ii) the requirement of the end use plant linked with the mine for a financial year shall be the actual quantity of mineral consumed in the said plant, in that financial year;

(iii) lessee shall pay the additional amount as specified in the Sixth Schedule of the Act for the quantity so sold;

(iv) lessee who has been allowed to sell mineral before the commencement of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021, shall also pay the additional amount for the quantity so sold, as specified in the Sixth Schedule of the Act, only for the quantity sold after the commencement of said Act;

(v) lessee will keep a separate record of such sale and shall report such sale in the monthly and annual returns to be submitted under the Mineral Conservation and Development Rules, 2017;

(vi) at the end of the financial year, the lessee shall carry out the reconciliation of the quantity of mineral produced, the quantity of mineral consumed in the linked end use plant and the quantity of mineral sold in that financial year;

(vii) in case lessee sells less than fifty per cent. of total mineral produced in a captive mine in a financial year, it shall not carry forward the deficient quantity for sale in the subsequent year.

***Explanation.*—**This rule shall be applicable in all leases where mineral is required to be used for captive consumption, notwithstanding any order or direction to the contrary, passed by any court or authority, prior to the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021.".

8. In the said rules, in rule 20,—

(i) for the words "mining operations" and "such operations" wherever they occur, the words "production and dispatch" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), for the words, "Subject to the conditions of this rule where mining operations are", the words "Where production and dispatch has" shall be substituted;

(iii) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely: —

"Where a lessee is unable to commence the production and dispatch within a period of two years from the date of execution of mining lease or discontinuation of production and dispatch for reasons beyond its control, he may submit an application to the State Government, explaining the reasons for the same and stating the further time required, at least three months before the expiry of such period of two years:

Provided that where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above due to the reasons beyond his control but has made application before the lapse of lease under sub-rule (1), the State Government may condone the delay in making the application and in such case the State Government shall pass an order under sub-section (6) before the lapse of lease:

Provided further that where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above or delay in making the application has not been condoned by the State Government, the lease shall lapse in accordance with sub-rule (1).";

(iv) in sub-rule (6), —

(a) for the words "whichever is earlier, either granting or rejecting such request:", the following shall be substituted, namely:—

"whichever is earlier, either extending the period of two year by a further period not exceeding one year or rejecting such request:";

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake production and dispatch or inability to continue production and dispatch within the extended period:

Provided further that such extension shall not be granted for more than once during the entire period of lease.";

(v) for sub-rules (7), (8) and (9) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(7) Any application for revival of the mining lease submitted under the third proviso to sub-section (4) of section 4A, as it stood prior to commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021, namely, the 28th March, 2021, which is not disposed of by the State Government prior to the said date, shall lapse on the said date.";

(vi) after sub-rule (11) the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(12) The State Government shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about such lapse of a mining lease.".

9. In the said rules, in rule 21,—

(i) In sub-rule (1),—

(a) for the words, "the entire area", the words "the entire or a part area" shall be substituted;

(b) for the word "twelve", the word "six" shall be substituted;

(c) the proviso shall be omitted;

(ii) after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3A) The State Government may refuse to accept such surrender of the entire or a part area of the mining lease for the reasons to be communicated in writing to the lessee.".

10. In the said rules, in rule 23,—

(i) in the heading, the words "granted through auction" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (1), for the words, "through auction" the words "under the Act" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2), the words, "which has been granted only through auction" shall be omitted;

(iv) in sub-rule (5), after the words, "as the case may be" occurring at the end, the following shall be inserted, namely:—

"and the transfer will not result in change of status of captive mine to merchant mine or *vice versa*:

Provided that any change of status of mine, from captive to merchant or *vice versa* upon any transfer effected prior to the commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021 shall be void and the captive or merchant status of such mine, as the case may be, as it stood prior to such transfer, shall be restored.";

(v) after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(12) The upfront payment made by any transferee of mining lease under the provisions of the Minerals (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Purpose) Rules, 2016, as it stood prior to its rescission, shall be refunded by the State Government to such transferee after adjustment against the transfer charges payable under the said rules till 27th of March, 2021:

Provided that such refund shall be made within sixty days from the date application by the transferee for such refund.".

11. After rule 23A, the following rule shall be inserted, namely:—

"**23B. Mutation of mining lease or composite licence in favour of legal heirs on death of the lessee or licencee**.- (1) In case of death of the holder of a mining lease or composite licence during the currency of the lease or licence period, the legal heirs may apply to the State Government for mutation of their name in the lease or licence in place of the deceased lessee or licencee, as the case may be.

(2) The State Government within a period of ninety days from the date of receiving such application for mutation shall enter the names of such legal heirs in the records in place of the deceased lessee or licencee or reject such mutations for the reasons to be recorded in writing:

Provided further that no such mutation of name in a mining lease or a composite licence shall be made in contravention of any condition subject to which such lease or licence was granted.

(3) The State Government shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about any mutation under this rule.".

12. In the said rules, rule 24 shall be omitted.

13. In the said rules, in rule 42, in sub-rule (3), after the words "the non-captive mines", the words "and any merchant sale done by the captive mines" shall be inserted.

14. In the said rules, in rule 49, —

(i) for the words and figures "rate of 24%", the words "twelve per cent." shall be substituted;

(ii) for the words "the sixtieth day of" shall be omitted.

15. In the said rules, for the rule 54, the following rule shall be substituted, namely:—

"**54. Penalty.—** (1) Any contravention of rules 11, 12, 12A, 12B, 13, 15, 17 [sub-rule (1)], 21 [sub-rule 4], 22 [sub-rule (2)], 23, 25, 28 to 33, 40, 50, 51, 52, 60, 61, 64 and 65 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to rupees five lakhs, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to rupees fifty thousand for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

(2) Any contravention of sub-rule (2) of rule 17 shall be punishable with fine for an amount as specified in Schedule XII.".

16. In the said rules, in rule 55, Schedule V, Schedule VII and Schedule IX, for the words, figures, "Concession Rules, 2015" the words and figures, "Concession Rules, 2016" shall be substituted.

17. In the said rules, in rule 60, for heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Supply of certain information to the new concession holder.".

18. In the said rules, after rule 70, the following rules and Chapter shall be inserted, namely:—

"71. **When day of completion of any requirement is a public holiday**.— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.

***Explanation*.—**The expression "public holiday" includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government or the State Government, as the case may be.

CHAPTER XVIII

MINING BY GOVERNMENT COMPANIES

72. **Period of mining lease granted to Government companies or corporations before 12th January, 2015**.— (1) All mining leases for minerals granted to a Government company or corporation before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), namely, the 12th January, 2015 shall be deemed to have been granted for a period of fifty years.

(2) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall, extend the period of the mining lease for further periods of twenty years at a time:

Provided that the State Government may condone the delay in making of such application.

(3) Subject to sub-rule (1), all applications made by a Government company or corporation for renewal of mining leases and which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (2).

(4) If an application for extension of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (2), including any application for extension of mining lease submitted before the commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021, is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the mining lease which may take place before or after the commencement of the said Rules, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and the Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease:

Provided that the Government company or corporation shall pay the amounts as specified in rule 74 upon such deemed extension.

73. **Period of mining lease granted to Government companies or corporations on or after 12th January, 2015**.— (1) All mining leases granted to a Government company or corporation for minerals shall be for a period of fifty years.

(2) A mining lease granted to a Government company or corporation in accordance with the provisions of section 10B and section 11 of the Act shall expire at the end of the period of fifty years and shall not be extended.

(3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation granted a mining lease in accordance with the provisions of sub-sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall extend the period of the mining lease for further periods of twenty years at a time:

Provided that the State Government may condone the delay in making of such application.

(4) If an application for extension of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (3) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the mining lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and the Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease:

Provided that the Government company or corporation shall pay the amounts as specified in rule 74 upon such deemed extension.

74. **Payments by a Government company or corporation**.— (1) In case of a mining lease granted or extended to a Government company or corporation or a joint venture, under the provisions of the Act, otherwise than through auction; on or after 12th January 2015, shall pay an amount to the State Government as prescribed under Fifth Schedule of the Act for the mineral produced after the commencement of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2021.

(2) A Government company or corporation, in addition to payment of additional amount as specified in Fifth Schedule, shall also pay such other amounts as may be required under any law for the time being in force to the concerned authorities, including,-

(i) royalty or dead rent to the State Government;

(ii) payment to the National Mineral Exploration Trust; and

(iii) payment to the District Mineral Foundation.".

19. In the said rules, after Schedule XI, the following schedule shall be inserted, namely:—

"**Schedule XII**

[See rule 54(2)]

AMOUNT OF FINE

Rule No.	**Marginal Heading of the Rule**	**Amount for compounding (in Rs.)**
Sub-Rule (2) of Rule 17	Modification and review of the Mining Plan	2,000/- per day, subject to maximum 5,00,000/-".

[F. No. M.VI-1/7/2021-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E) dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 397(E), dated the 10th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.02 22:33:03 +05'30'